



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963PLC003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004
Website: www.indianseeds.com

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज0)

मुख्यालय: बीज भवन, पूला परिसर, नई दिल्ली-12

पत्रांक: के.रा.फा./ जैत./ 1-55/ कृषि/

दिनांक मार्च 2015

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला-श्रीगंगानगर (राज0) को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कृषि स्नातक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक, व ट्रैक्टर चालक उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक लाइसेन्स धारी ठेकेदारों से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इसके अलावा मुख्य कार्यालय व रिहायशी कालोनी परिसर की सफाई कार्यों का भी ठेका देना है। निर्धारित प्रपत्र में भरी हुई सीलबन्द निविदाएँ दिनांक 30.03.2015 को दोपहर बाद 03:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वीकार की जायेगी। सफाई कार्य हेतु रुपये पाँच हजार तथा मानव श्रम शक्ति उपलब्ध कराने हेतु रुपये बीस हजार का बैंक ड्राफ्ट जोकि National Seeds Corporation Ltd., Jetsar के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (08251) पर देय हो घरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ संलग्न करना होगा। उक्त कार्यों के लिए निर्धारित नियम व शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस के कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। यदि दिनांक 30-03-2015 को समुचित दरें प्राप्त नहीं हुई तो दिनांक 06-04-2015 को इसके लिए पुनः निविदायें स्वीकार की जायेंगी।


सहायक प्रबंधक (मानव संसाधन)

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर
जिला श्रीगंगानगर (राज0)

मानव शक्ति आपूर्ति करने वाली संस्था द्वारा केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर को मानव शक्ति आपूर्ति करने बावत
नियम व शर्तें

- 1- मानव शक्ति आपूर्ति करने का ठेका एक वर्ष के लिए होगा। कार्य की अनुपस्थिता एवं अपरिहाय परिस्थिति में मानव शक्ति की माँग को कम/ अधिक किया जा सकता है। अगर ठेका घटाया/ बढ़ाया नहीं जाता है तो यह ठेका दिनांक 31-03-2016 के बाद स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 2- किस चक की देख-रेख का कार्य किस कृषि स्नातक/ स्नात्कोत्तर को देना है तथा इस कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा लगाया गया व्यक्ति उपयुक्त है या नहीं, इसका निर्धारण प्रबन्धक (उत्पादन) करेंगे। इसी प्रकार कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य पर ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्ति की उपयुक्तता/ अनुपयुक्तता का निर्धारण सहायक प्रबन्धक (मानव संसाधन) करेंगे तथा मैकेनिक व ट्रैक्टर चालक के कार्य पर ठेकेदार द्वारा लगाए गए व्यक्ति उपयुक्त है या नहीं, इसका निर्धारण प्रबन्धक (यांत्रिकी) करेंगे। कार्य संतोषजनक होने पर उस माह में ठेकेदार द्वारा लगाये गये मानव दिवसों के आधार पर बिल बनाकर ठेकेदार को मासिक भुगतान किया जायेगा।
- 3- ठेकेदार या उसके व्यक्ति यदि फार्म अधिकारियों, कर्मचारियों व कामगारों से अभद्रता करते हैं, निगम सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाते/ चोरी करते हैं, या कोई गैर-कानूनी कार्य करते हैं तो उस व्यक्ति विशेष को तुरन्त कार्य से हटाकर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी तथा नुकसान की भरपाई ठेकेदार के बिलो से की जायेगी। अगर इन कृत्यों के लिए ठेकेदार को जिम्मेवार पाया जाता है तो उसका ठेका रद्द कर उसकी धरोहर राशि जब्त करली जायेगी। कृत्य की गम्भीरता को देखते हुए निदेशक महोदय ठेकेदार को नाम काली सूची में भी डालने का आदेश दे सकते हैं।
- 4- ठेकेदार या उसके द्वारा लगाये गये व्यक्ति द्वारा यदि उसकी लापरवाही के कारण निगम सम्पत्ति का नुकसान होता है तो एक समिति द्वारा उस नुकसान का ऑकलन किया जायेगा, ठेकेदार भी उस समिति का सदस्य रहेगा। समिति द्वारा निर्धारित किये गये नुकसान की भरपाई ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।
- 5- ठेकेदार अपने व्यक्तियों के लिए आवास की व्यवस्था खुद करेगा। ठेकेदार या उसके आदमी फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेंगे।
- 6- ठेकेदार अपने श्रमिकों को राजस्थान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं करेगा और उसके श्रमिकों को किसी प्रकार की कानूनी देयता होने पर उसकी पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की ही होगी तथा किसी प्रकार की दुर्घटना आदि की जिम्मेवारी भी ठेकेदार की ही होगी। ठेकेदार अपने श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश देगा।
- 7- ठेकेदार अपने कर्मचारियों/कामगारों के मासिक वेतन में से नियमानुसार भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) की राशि काटकर अपने स्तर पर सम्बन्धित भविष्य निधि कार्यालय में जमा करायेगा।
- 8- इस ठेके के संदर्भ में किसी प्रकार के कर (Tax) आदि यदि देय हो, उसकी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। फार्म इसके लिए कोई भुगतान नहीं करेगा।
- 9- ठेकेदार इस फार्म पर लगाये गये अपने व्यक्तियों को निविदा में दर्ज न्यूनतम दर के हिसाब से, फार्म प्रशासन के समक्ष, भुगतान करेगा तभी उसके बिल का भुगतान दिया जायेगा।
- 10- यदि उपरोक्त अनुबन्ध/ करार के किसी उपाबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण, निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक को संदर्भित किया जायेगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह खुद या अपने द्वारा नामित एकल विवेचक के द्वारा विवाद का निपटान आर्बीट्रेशन एण्ड कॉन्सिलेशन एक्ट-1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत करायें। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बीट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करे।
- 11- आर्बीट्रेशन एण्ड कॉन्सिलेशन के उपरान्त भी यदि विवाद का निपटान नहीं होता है तो उसका न्याय क्षेत्र फार्म परिधि से सम्बंधित होगा।

निविदा

सेवा में

श्रीमान् निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर
जिला श्रीगंगानगर (राज0)

महोदय,

आपकी निविदा सूचना क्रमांक: के.रा.फा./ जैत/ 1-55/ ठेका0/ दिनांक जोकि दैनिक भास्कर अखबार के अंक दिनांक में प्रकाशित हुई के क्रम में लेख है कि हमारी संस्था मानव शक्ति आपूर्ति करने के लिए राजस्थान सरकार से अधिकृत एवं वैध है। हम निम्नलिखित मानव शक्ति आपूर्ति करने के लिए अपनी दरें प्रस्तावित कर रहे हैं। इस बारे में निर्धारित नियम व शर्तों को हमने पढ़ व समझ लिया है तथा इन्हें स्वीकार करते हुए हमने निर्धारित धरोहर राशि रू0 20,000/ - (बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न कर दिया है।

क्र. सं.	मानव शक्ति का विवरण	न्यूनतम भुगतान
1.	चको में फसलों के रख-रखाव व विभिन्न कृषि कार्य, कीट/ बीमारी नियंत्रण कार्य को करने हेतु कृषि स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्रीधारी मानव शक्ति आपूर्ति करना।	कृषि स्नातक को रू0 बारह हजार तथा कृषि स्नातकोत्तर को रू0 चौदह हजार प्रति व्यक्ति प्रति माह
2.	हायर सेकण्ड्री व कम्प्यूटर लाइन में डिप्लोमा या सर्टीफिकेट कोर्स धारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराना। कार्यालय का अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता।	रू0 8000/-प्रति व्यक्ति प्रति माह
3.	ट्रैक्टर द्वारा आठ घंटे प्रति दिन कृषि कार्य कराने हेतु कुशल व वैध लाइसेन्स धारी ट्रैक्टर चालक उपलब्ध कराना।	राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी दर
4.	कृषि व सुरक्षा कार्यो हेतु श्रमिक उपलब्ध कराना।	राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक मजदूरी दर
अ.	उपरोक्त मानव शक्ति आपूर्ति के लिए कुल बिल राशि का प्रतिशत सेवा शुल्क के रूप में लेंगा।	

महोदय, मुझे ज्ञात है कि यह ठेका एक वर्ष के लिए है जोकि फार्म निदेशक द्वारा कार्य की आवश्यकता एवं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर घटाया/ बढ़ाया जा सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे उक्त कार्य का ठेका मेरे द्वारा प्रस्तावित सेवा शुल्क/ दर पर देने का श्रम करें।

मेरा लाइसेन्स न0.....जोकि दिनांक तक वैध है तथा आयकर पैन न0 है।

दिनांक
फोन न0

भवदीय

हस्ताक्षर ठेकेदार

नाम

पिता का नाम

पता

.....